न्यूज डायरी

फांसी की सजा के बाद बोले पूर्व राष्ट्रपति सजा निजी बदले पर आधारित

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) दुबई। पाकिस्तान की विशेष अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने इसे बदले की राजनीति करार दिया। मंगलवार को अदालत ने मुशर्रफ को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी और इस सजा के बाद उन्होंने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा देशभक्त रहे हैं और उन्हें उन्हें राष्ट्रद्रोह में सजा सुनाई गई। इस फैसले का पाकिस्तान में बहुत ताकतवर मानी जानेवाली पाक सेना ने भी विरोध किया है। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद मुशर्रफ के समर्थकों ने देश के विभिन्न हिस्सों में उनके समर्थन में छोटी रैलियां निकाली। मुशर्रफ को संविधान को निष्प्रभावी बनाने और पाकिस्तान में नवम्बर 2007 में संविधान के खिलाफ जाकर देश में आपातकाल लगाने के लिए अदालत ने दोषी करार दिया।

गाजा पट्टी से रॉकेट दागे जाने के बाद इजरायल ने की जवाबी कार्रवाई

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) यरूशलम। इजरायल ने अपनी एक बस्ती में फलस्तीन की ओर से रॉकेट दागे जाने के बाद बुधवार को लड़ाकू विमानों से हमास के नियंत्रण वाली गाजा पट्टी में हथियारों की एक इकाई पर हमला किया। सेना ने यह जानकारी दी। सेना के बयान के अनुसार, ष्इजरायली क्षेत्र में रात में गाजा पट्टी से रॉकेट दागा गया था। जवाब में लड़ाकू विमानों ने उत्तरी गाजा पट्टी में हमास की हथियार निर्माण इकाई पर हमला कर किया। हालांकि दोनों घटनाओं के बाद हुए नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है।

जॉनसन की पीपुल्स कैबिनेट में प्रीति पटेल, आलोक शर्मा, ऋषि सुनाक बरकरार

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) लंदन। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल सहित भारतीय मूल के तीन मंत्रियों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल पीपुल्स कैबिनेट में अपने पदों को बरकरार रखा है। चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र से पहले मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कंजरवेटिव पार्टी ने पिछले हफ्ते आम चुनाव में भारी जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया था। नवनिर्वाचित सांसद और मंत्री मंगलवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में लौट आए। जॉनसन ने अपनी शीर्ष टीम में यथास्थिति बनाए रखने के लिए मंत्रिमंडल के कुछ खाली पदों को भरने के लिए केवल बहुत ही सीमित फेरबदल किया है, जिसे उन्होंने पीपुल्स कैबिनेट कहा है।

मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंताओं के लिए भारत में संस्थाएं हैं: अमेरिका

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) वॉशिंगटन। मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर भारत की तुलना दूसरे देशों के साथ करने से इनकार करते हुए अमेरिका ने कहा कि भारत एक सक्षम लोकतंत्र है। अमेरिका ने कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और वहां धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार जैसे विषयों पर चिंताओं के समाधान के लिए संस्थाएं हैं। भारत में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ देशभर में बड़े पैमाने पर हो रहे प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने यह टिप्पणी की। प्रदर्शनकारी धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने से जुड़े इस कानून को असंवैधानिक और विभाजनकारी बता रहे हैं क्योंकि यह मुसलमानों को शामिल नहीं करता।

नागरिकता प्रदर्शन ब्रिटेन में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) लंदन। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) के खिलाफ लंदन में बुधवार को प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में सैकड़ों छात्र और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे प्रवासी लोग शामिल हुए। ऑक्सफर्ड में भी छात्रों ने भारत के नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। भारत में भी नागरिकता कानून के विरोध में गुरुवार को देश के कई हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

पीओके का स्टेटस बदलने की तैयारी में पाकिस्तान

पीओके के लोग इस नापाक साजिश के विरोध में, बताया पंजाब प्रांत में अवैध तौर पर विलय की कोशिश

विरोध

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

इस्लामाबाद। पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के हिस्सों पर अपने अवैध कब्जे वाले इलाकों की मौजूदा स्थिति से छेड़खानी की नापाक कोशिश कर रहा है। इससे क्षेत्र में यथास्थिति में बड़े बदलाव और क्षेत्रीय तनाव बढ़ने का संकेत मिल रहा है। पाकिस्तान ने अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर के प्रशासन का नाम आजाद कश्मीर से बदलकर जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवाएं कर दिया है। इसके अलावा वेस्टर्न फ्रंट पर लंबे वक्त से अफगानिस्तान के साथ विवाद वाले डूरंड लाइन पर बेड़ेबंदी का काम तेज कर दिया है।

नापाक साजिश का पीओके के लोग कर रहे विरोधः पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोग इमरान खान सरकार की इस नापाक साजिश का विरोध कर रहे हैं। च्ज्ञ के एक ऐक्टिविस्ट नासिर अजीज

पीओके को पंजाब प्रांत में विलय की साजिश रच रहा पाकः ऐक्टिविस्ट

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नासिर अजीज ने कहा, रजा फारूक हैदर ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने उन्हें साफ संदेश दिया है कि वह पीओके के आखिरी प्रधानमंत्री है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि पाकिस्तान पीओके को पंजाब प्रांत और कुछ हिस्सों को खैबर पख्तूनख्वा में अवैध रूप से विलय की कोशिश कर रहा है। गिलगित–बाल्टिस्तान के बारे में भी पाकिस्तान का ऐसा ही इरादा है।

खान ने पाकिस्तान के इस कदम की तीखा विरोध किया है। पीओके और गिलगित–बाल्टिस्तान की मौजूदा स्थिति को बदलने की साजिश पर नासिर ने कहा कि इमरान खान सरकार इलाके को अवैध तौरश पर अपने पंजाब प्रांत में विलय की कोशिश कर रही है।

11 दिसंबर को जारी किया गया नापाक आदेशः ऐक्टिविस्ट और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नैशनल पार्टी के प्रवक्ता नासिर अजीज खान ने यह प्रतिक्रिया 11 दिसंबर को जारी एक आदेश पर दे रहे थे। 11 दिसंबर को आजाद कश्मीर सरकार की तरफ से जारी आदेश में श्आजाद जम्मू और कश्मीर मैनेजमेंट ग्रुपश का तत्काल प्रभाव से नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज करने की बात कही गई है। यह आदेश पीओके के कथित प्रधानमंत्री फारूक हैदर खान के उस बयान के ठीक बाद जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि वह च्ज्ञ के संभवतः आखिरी प्रधानमंत्री हो सकते हैं।

नासिर अजीज ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने इन इलाकों पर अवैध तौर पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के मुताबिक पाकिस्तान को इन इलाकों से हटना था लेकिन उसने जम्मू और कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का पालन नहीं किया। इलाके में उनका दमन जारी है और उन्होंने यहां सांप्रदायिकता के बीज रोप दिए।

भारत का हिस्सा है पीओकेः पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। गृह मंत्री अमित शाह भी दो टूक कह चुके हैं कि जब हम जम्मू–कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर भी अनिवार्य रूप से शामिल है। जम्मू–कश्मीर को अस्थायी तौर पर मिले विशेष दर्जे को वापस लेकर सूबे का 2 केंद्रशासित प्रदेशों के तौर पर पुनर्गठन के बाद से भारत में यह आवाज तेज होने लगी है कि अब पीओके को भी वास्तविक अर्थों में भारत में मिलाया जाए।

डॉनल्ड ट्रंप बोले ने विरोधियों पर बोला तीखा हमला

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

वॉशिंगटन। अमेरिकी संसद के निचले सदन से राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया है। ट्रंप ने इस पर पहली प्रतिक्रिया ट्विटर पर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी तस्वीर के साथ एक मशहूर कोट को शेयर किया। ट्वीट के जरिए विरोधियों को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि विरोधी मेरे पीछे नहीं बल्कि आपके (जनता के) पीछे पड़े हैं। निचले सदन से प्रस्ताव पास होने के बाद भी ट्रंप की सत्ता सुरक्षित मानी जा रही है क्योंकि ऊपरी सदन सीनेट में रिपब्लिकन का बहुमत है।

तस्वीर के साथ शेयर की मशहूर उक्तिः राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने तस्वीर के साथ ही एक मशहूर उक्ति भी शेयर की। उन्होंने अपनी ब्लैक ऐंड वाइट तस्वीर के साथ लिखा, हकीकत में वो (विरोधी) मेरे पीछे नहीं पड़े हैं वो आपके पीछे पड़े हैं।श ट्रंप ने महाभियोग प्रक्रिया विवाद शुरू होने के बाद से कई बार खुद को बेगुनाह बताते हुए इसे विरोधियों की साजिश करार देते रहे हैं। ट्रंप अमेरिका के इतिहास में ऐसे तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्हें इस प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है।

अमेरिकी समय के अनुसार बुधवार को अमेरिका के निचले सदन में ट्रंप के ऊपर लगे दो आरोपों पर विस्तृत चर्चा हुई।

भारत और अमेरिका रक्षा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) वॉशिंगटन। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग प्रगाढ़ करने, रक्षा व्यापार बढ़ाने, शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान समझ वाले देशों जैसे जापान के साथ समन्वय बढ़ाने और आंतकवाद के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए सहमत हो गए हैं। भारत और अमेरिका के बीच दूसरी टू प्लस टू वार्ता यहां विदेश विभाग के फॉगी बॉटम मुख्यालय में बुधवार को हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ के साथ रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने भारत के अपने समकक्षों विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विदेश विभाग के फॉगी बॉटम मुख्यालय में मेजबानी की।

हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स से डॉनल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

वॉशिंगटन। अमेरिका के इतिहास में आज राष्ट्रपति ट्रंप गलत कारण से हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव निचले सदन से पास हो गया। अब तक के इतिहास में सिर्फ 3 ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्हें महाभियोग प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में यह प्रस्ताव पास हो गया है। विपक्षी डेमोक्रैट्स के बहुमत वाले हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में महाभियोग के पक्ष में 230 और विरोध में 197 वोट पड़े।

अमेरिकी समय के अनुसार बुधवार को अमेरिका के निचले सदन में ट्रंप के ऊपर लगे दो आरोपों पर विस्तृत चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति पर पहला आरोप है कि उन्होंने करदाताओं के पैसे का प्रयोग अपने निजी हित और राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया। उनके ऊपर दूसरा आरोप है कि इस आरोप की जांच के लिए उन्होंने कांग्रेस की जांच प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की। ट्रंप एक ही सूरत में हट सकते हैं, जब कम से कम 20 रिपब्लिकन सांसद उनके खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लें। अभी के हालात में ऐसा होना संभव नहीं दिख रहा है।

अमेरिका का संविधान क्या कहता है इस पर

अमेरिका के संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार ट्रंप महाभियोग प्रक्रिया के दौरान भी अपने पद पर बने रह सकते हैं। महाभियोग प्रस्ताव का सेनेट से पास होना अनिवार्य होता है। इससे पहले जिन दो राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन पर यह प्रस्ताव चला है, वह भी सेनेट में समर्थन के कारण आरोपमुक्त हो गए। सेनेट में इस वक्त रिपब्लिकन का ही बहुमत है। अमेरिका के संविधान के अनुसार, सेनेट में मौजूद सदस्य अगर दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव का समर्थन करें तभी राष्ट्रपति को पद से बर्खास्त किया जा सकता है।

नागरिकता कानून पर इमरान खान को भारत का जवाब

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) जेनेवा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भारत के नागरिकता कानून पर की गई टिप्पणी को भारत ने सिरे से खारिज किया है। इमरान खान ने कहा था कि भारत सरकार द्वारा उठाए कदमों के कारण दक्षिण एशिया में एक बड़ी शरणार्थी समस्या जन्म ले रही है। भारत ने इमरान खान की टिप्पणी के जवाब में कहा कि उनकी बेतुकी टिप्पणी भारत के प्रति उनकी घृणा और पूर्वाग्रह का परिचायक है। भारत ने यह भी कहा कि इमरान खान अपने देश के लिए काम करें। संयक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव के चंदर ने इमरान खान की इस टिप्पणी को सिरे से खारिज करते हुए कहा, हम इमरान खान की इस बेतुकी और निराधार टिप्पणी को पूरी सख्ती से खारिज करते हैं। पाकिस्तान स्वघोषित रूप से मानवाधिकार का हिमायती बनता है जबकि वहां के अल्पसंख्यकों की संख्या जोकि 1947 में 23 पर्सेंट थी, अब तीन पर्सेंट पर आ चुकी है। पाकिस्तान में कठोर ईशनिंदा कानून, एक प्रक्रिया के तहत उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण इसका मुख्य कारण हैं।